

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं  
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/  
प्रति,

भोपाल, दिनांक / /2018

उप संचालक,  
विज्ञप्त/अविज्ञप्त/परिवार कल्याण/नर्सिंग शाखा,  
स्थानीय कार्यालय।

विषय:- 20 वर्ष सेवा एवं 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रकरण के संबंध में।  
संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक 3984/4116/2017/2/एक, 26.10.2017 के संदर्भ में।

\*\*\*

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन के संदर्भित आदेश के परिपालन में लेख है कि आपके शाखा से संबंधित 20 वर्ष सेवा एवं 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी कोई प्रकरण हो तो तत्काल कार्यालय स्थापना शाखा को भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि एकजाई कार्यवाही की जा सके।

अपर संचालक प्रशासन द्वारा आदेशित।

संयुक्त संचालक (कार्या.स्था.),  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

पृ.क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/

628

भोपाल, दिनांक 10/11/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक संचालक प्रशासन/अपर संचालक (प्रशासन/वित्त) स्थानीय कार्यालय।
3. सेल-3 एवं 5, कार्यालय स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय।
4. प्रभारी एन.आई.सी., स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश नस्ती,

संयुक्त संचालक (कार्या.स्था.),  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश,